

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
गोविन्दय्य पुत्र जवानाय्य साह नायययय	नी म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 258 /2021		GCMS No. 258/108
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
1.12.2021	<p>वादी श्री गोविन्दय्य पुत्र जवानाय्य जाति साह निवासी नायययय द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत गयययय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2078-2079 ग्राम नायययय पटवार मण्डल गोविन्दय्य के खाता नम्बर 60 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि गोविन्दय्य पुत्र जवानाय्य दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम गोविन्दय्य पुत्र जवानाय्य है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 00839/4000 78 आधार नम्बर 5250 8195 3182 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी गयययय भू.अ.नि गयययय एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



1066-1068